भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1918

दिनांक 19.12.2022 को उत्तर के लिए

वायु प्रदूषण संबंधी आपात स्थिति हेतु मानक पद्धतियां

1918. श्री कलानिधि वीरास्वामी:
डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:
श्री प्रताप चन्द्र षडङ्गी:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर चेन्नई निर्वाचन क्षेत्र में गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों/संकुलों में पर्यावरण में सुधार लाने और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए कार्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सर्वाधिक प्रभावित सामाजिक-आर्थिक समूहों और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कोई सुभेद्यता मानचित्रण किया है ताकि इस संबंध में आंकड़े प्राप्त किए जा सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था पर वायु प्रदूषण के जोखिमों और प्रभाव के संबंध में अनुमान लगाया है अथवा कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने वायु प्रदूषण आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया, रोकथाम और संभलाई के लिए मानक पद्धतियां विकसित की हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने वर्ष 2018 के दौरान देश में 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में अवस्थित 100 प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों (पीआईए) में व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) आकलन किया गया था। उपर्युक्त सीईपीआई आकलन के आधार पर, तमिलनाडु से 04 पीआईए अर्थात मनाली (मनाली औद्योगिक क्षेत्र) वेल्लोर-नार्थ अर्कोट (रानीपेट सिपकोट औद्योगिक क्षेत्र), तिरुपुर (मंगलम, वेलमपैटी, आंडीपालयम, कसीपलयम सहित तिरुपुर कारपोरेशन) तथा मेट्टुर (मेट्टुर औद्योगिक क्षेत्र) को अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। मनाली औद्योगिक क्षेत्र उत्तरी चेन्नै निर्वाचन क्षेत्र के अधीन आता है। तद्नुसार, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) ने मापदण्डों के भीतर पर्यावरणीय गुणवत्ता को पुर्नबहाल करने हेतु अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों सहित जनवरी 2020 में मनाली औद्योगिक क्षेत्र सहित उपर्युक्त 04 पीआईए को सुधारात्मक कार्य योजना प्रस्तुत की।

सरकार ने देश भर में वायु प्रदूषण स्तरों को कम हेतु राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत की है। अंतराष्ट्रीय अनुभवों और राष्ट्रीय अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए, एनसीएपी के तहत अनुमानित राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्य में वर्ष 2024 तक पीएम 2.5 तथा पीएम 10 सांद्रता में 20%-30% की कमी की गई है। सीपीसीबी ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) के लक्ष्य को प्राप्त न करने वाले 131 शहरों की पहचान की गई है जिसमें तमिलनाडु के चेन्नै, त्रिची, मदुरै और थूथुकूडी शहर शामिल है। वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु इन 131 अवमानक/दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कार्यान्वयन के लिए शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजना को तैयार किया गया और इसे लागू किया गया है।

एनसीएपी की कागजरहित निगरानी के लिए तथा उक्त कार्यक्रम की सूचना को जनता तक पहुँचाने के लिए मंत्रालय द्वारा '' अवमानक शहरों में वायु प्रदूषण के विनियमन के लिए पोर्टल'' या ''प्राण'' को शुरु किया गया है। चेन्नै शहर विशिष्ट कार्य योजना वाहनों, सड़क की धूल, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों, बायोमास तथा कूड़े को जलाने एवं उद्योग जैसे स्रोतों को लक्षित करती है। यह योजना परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के सुदृढ़ीकरण और नागरिकों के बीच जागरूकता पर बल देती है। वित्त वर्ष 2017-18 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान चेन्नै शहर में पीएम 10 की सांद्रता में 13.6% की कमी हुई है। इसके अतिरिक्त, वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम अनुबंध-। में दिए गए हैं।

(घ) आपातकालीन स्थिति में वायु प्रदूषण से निपटने हेतु, शहर की वायु गुणवत्ता तथा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर आधारित वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की विभिन्न श्रेणियों जैसे खराब, बहुत खराब, गंभीर तथा अत्यधिक गंभीर श्रेणियों के तहत दिल्ली-एनसीआर के लिए विकसित जीआरएपी की तर्ज पर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (ईआरएस)/ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) को तैयार करने हेतु सभी अवमानक/दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को दिशा-निर्देश दिए हैं। तदनुसार, अब तक 131 शहरों में से, 120 शहरों द्वारा ईआरएस/जीआरएपी विकसित किया गया है।

*****

अनुबंध-I

वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता की निगरानी और प्रबंधन के संबंध में कई कदम उठाए गए हैं। ये निम्नानुसार हैं :

<u>वाहनीय उत्सर्जन</u>

- एनसीटी दिल्ली में 1 अप्रैल, 2018 से और देश के शेष हिस्सों में 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-IV से बीएस-VI ईंधन मानक अपनाना।
- अप्रैल, 2020 से पूरे देश में बीएस-VI मानकों का अनुपालन करने वाले वाहनों की शुरूआत करना।
- ईंधन की खपत और प्रदूषण कम करने के लिए एक्सप्रेस-वे और राजमार्गों का विकास।
- सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण जैसे स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधन की शुरूआत करना।
- सड़कों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और सड़कों में सुधार करना व ज्यादा पुलों का निर्माण करना।
- जन परिवहन के लिए मेट्रो रेल के नेटवर्क में वृद्धि की गई है और अधिक शहरों को शामिल किया गया है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण (फेम)-2 स्कीम की शुरूआत की गई है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परमिट आवश्यकता पर छूट दी गई है।
- सड़कों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और सड़कों में सुधार करना व ज्यादा पुलों का निर्माण करना।

<u>औद्योगिक उत्सर्जन</u>

- कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए कड़े उत्सर्जन मानक जारी करना।
- दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों का पीएनजी/स्वच्छतर ईंधन अपनाना।
- अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न कर रहे उद्योगों में ऑन लाइन सतत निगरानी उपकरणों की संस्थापना।
- दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में कमी करने के लिए ईंट भट्टों को मिश्रित प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करना।

<u>धूलकण और कचरे को जलाने के कारण उत्पन्न वायु प्रदूषण</u>

- ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट को शामिल करते हुए छः अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अधिसूचना जारी की गई है।
- अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र जैसी अवसंरचनाओं की स्थापना करना।
- प्लास्टिक और ई-अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर)।
- बायोमास/कचरे के जलाने पर प्रतिबंध लगाना।

<u>परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी</u>

- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) जैसे कार्यक्रमों के तहत हस्तचालित स्टेशनों के साथ-साथ सतत निगरानी स्टेशनों का वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विस्तार।
- कम लागत के सेंसरों और उपग्रह आधारित निगरानी जैसे वैकल्पिक परिवेशी निगरानी प्रौद्योगिकियों का आकलन करने के लिए प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत।

<u>एनसीएपी के कार्यान्वयन की निगरानी</u>

- सरकार ने भारत में शहर और क्षेत्रीय पैमाने पर वायु प्रदूषण के स्तरों को कम करने के लिए कार्यों की रूपरेखा तैयार करते हुए राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में एनसीएपी को शुरू किया है। 132 एनएसी और एमपीसी में कार्यान्वयन के लिए शहर विशिष्ट वायु कार्य योजनाएं शुरू की गई हैं।
- शहर विशिष्ट कार्य योजनाओं की नियमित रूप से समितियों द्वारा निगरानी की जाती है। केन्द्रीय स्तर पर; शीर्ष, संचालन समिति, निगरानी और कार्यान्वयन समितियां; राज्य में; संचालन, कार्यान्वयन समिति और शहरी स्तर पर कार्यान्वयन और निगरानी समिति।
- एनसीएपी के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक पोर्टल, प्राण की शुरूआत की गई है।

*****